



प्रेषक,

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा
31/1/25

स्मृति-पत्र

163/डी/एल0ए0सी0/2024

109/900मी
01/21/2025

संख्या: 956 /डीएलआरसी

दिनांक: 25 जनवरी.2025

विषय:

जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ में पुनर्ग्रहित की गई भूमि की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 163/डी/एल0ए0सी0/2024, दिनांक 17.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ में सामान्य एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पुनर्ग्रहण कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तदक्रम में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या 855/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 24.12.2024 के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुरूप भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है:-

क0सं0	ग्राम का नाम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि की नौईयत	लगान का 150 गुना	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन (धनराशि रु0 में)	योग (कॉलम 7+ 8)
		गाटा संख्या	कुल रकवा (हे0 में)	पुनर्ग्रहित रकवा (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ककुआ	10	0.2580	0.2580	बंजर	638.2	6192000	6192638
2	ककुआ	512	0.0230	0.0230	बंजर	56.9	552000	552057
3	ककुआ	779	0.1500	0.1500	बंजर	371.0	3600000	3600371
योग			0.4310	0.4310		1066.1	10344000	10345066

उक्त आदेश के प्रस्तर-4 में उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में प्राविधानित किया गया है कि "राज्य सरकार सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/ निजी संस्थाओं/ न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहित भूमि का मूल्य तथा पंजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।" तदनुसार सामान्य

श्रेणी (बंजर) की भूमि गाटा संख्या 10 रकबा 0.2580 है, गाटा संख्या 512 रकबा 0.0230 है एवं गाटा संख्या 779 रकबा 0.1500 है कुल किता-03 रकबा 0.4310 है को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पुनर्ग्रहण हेतु शुल्क कलेक्टर के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 04 गुना व लगान का 150 गुना के योग के बराबर मु0 1,03,45,066/- रुपये (एक करोड़ तीन लाख पैंतालीस हजार छियासठ रुपये) होता है, जिसको उपरोक्त लेखाशीर्षक में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के स्तर से जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु इस कार्यालय के पत्र संख्या 876/डीएलआरसी, दिनांक 03.01.2025 के उपरान्त भी वांछित धनराशि अभी तक निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराकर अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के आदेश संख्या 855/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 24.12.2024 के क्रम में पुनर्ग्रहित की गई भूमि का शुल्क कलेक्टर के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 04 गुना व लगान का 150 गुना के योग के बराबर मु0 1,03,45,066/- रुपये (एक करोड़ तीन लाख पैंतालीस हजार छियासठ रुपये) उक्त लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),

आगरा।

संख्या व दिनांक: तद।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
- 2- उपजिलाधिकारी, सदर आगरा।

(अजय कुमार सिंह)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),

आगरा।

(1) कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 855/पुनर्ग्रहण/2024-25

दिनांक: दिसम्बर, 24 2024

आदेश

जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-796/डीएलआरसी, दिनांक 10.12.2024, द्वारा जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ एवं भांडई की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में पुनर्ग्रहण कर हस्तान्तरित करने विषयक उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या-163/डी/एल0ए0सी0/2024, दिनांक 17.8.2024 के क्रम में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की आवासीय टाउनशिप योजना हेतु पुनर्ग्रहण की जाने वाली ग्राम ककुआ की भूमि में 03 (तीन गाटे) गाटा संख्या-10, गाटा संख्या-512 एवं गाटा संख्या-779 बंजर के हैं, जो ग्राम सभा की सामान्य श्रेणी की भूमि है। जिलाधिकारी आगरा की आख्या के अनुसार सन्दर्भित योजना के लिये गांव ककुआ की सामान्य श्रेणी की भूमि को सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में हस्तान्तरण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं०	ग्राम का नाम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि की नौईयत	लगान का 150 गुना	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन (धनराशि रु० में)	योग (कॉलम 7+ 8)
		गाटा संख्या	कुल रकबा (हे० में)	पुनर्ग्रहित रकबा (हे० में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ककुआ	10	0-2580	0.0080	बंजर	19.8	192000	192020
2.	ककुआ	512	0.0230	0.0180	बंजर	44.5	432000	432045
3.	ककुआ	779	0.1500	0.0350	बंजर	86.6	840000	840087
	योग		0.4310	0.4310		1066.1	10344000	10345066

2. जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.12.2024 के अनुसार सन्दर्भित भूमि की वर्तमान में कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गई है। उक्त के संबंध में भूमि प्रबंधक समिति ककुआ द्वारा दिनांक 14.10.2024 को प्रस्ताव पारित किया गया है। सन्दर्भित भूमि हेतु निर्धारित सर्किल रेट रु० 1,03,44,000/- रुपये तथा 150 गुना मालगुजारी की धनराशि रु० 1066/- रुपये इस प्रकार कुल धनराशि रु० 1,03,45,066/- रुपये होती है।

3. उक्त के अतिरिक्त परियोजना में प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में प्राविधानित किया गया है कि "राज्य सरकार सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहित भूमि का मूल्य तथा पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।"

4. "उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ से जारी अधिसूचना संख्या 741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016, उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-59 की उपधारा-(2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) व (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोगतव्य शक्ति उन दशाओं में जहां यह फाइनैसियल हैंड बुक खण्ड 5 के भाग 1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिये या जहां यह भारत

सरकार के किसी विभाग के लिये अपेक्षित हो, मु0 40 लाख रुपये तक वस्तुओं हेतु सम्बन्धित जनपदों के कलक्टरों तथा मु0 40 लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है।

5- अतः आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा जनपद आगरा की तहसील सदर के ककुआ एवं भांडई ग्राम की भूमि 'आवासीय टाउनशिप योजना' हेतु भूमि पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध एवं तत्कम में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016/20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(घ); प्रस्तर-4(1)(ग), प्रस्तर-5(3), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा-(2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा-77 की उपधारा-2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि, धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन राजस्व ग्राम ककुआ की अनुसूची के कॉलम संख्या-4 में उल्लिखित गाटा संख्या-10 रकवा 0.2580 हे0, गाटा संख्या-512 रकवा 0.0230 हे0 एवं गाटा संख्या-779 रकवा 0.1500 हे0 कुल रकवा-0.4310 हेक्टेयर ग्राम सभा सामान्य श्रेणी (बंजर) की भूमि का मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा पुनर्ग्रहण कर आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
 - 2- आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5, लखनऊ।
 - 3- जिलाधिकारी, आगरा को उनके पत्र दिनांक 10.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 4- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को उनके पत्र दिनांक दिनांक 17.8.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त